राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12752/2021

कल्याण चौधरी पुत्र श्री जगदीश लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अटपाड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	कोई भी उपस्थित नहीं
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री खेत सिंह राजपुरोहित (आरपीएससी के लिए)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

09/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, विज्ञापन दिनांक 05.04.2018 (अनुलग्नक 2) के अनुसरण में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद हेतु साक्षात्कार आयोजित करने के संबंध में परिणाम दिनांक 04.03.2021 (अनुलग्नक 7) और प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.09.2021 (अनुलग्नक 11) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता बोनस

अंक प्रदान करके या प्रश्न संख्या 33 और 36 को हटाकर, एक नया अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहा है।

2. याचिका के निस्तारण के लिए आवश्यक तथ्य, जैसा कि याचिका में अभिवचन किया गया है, निम्नानुसार हैं:-

2.1. याचिकाकर्ता एक मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी विषय में बी.टेक. और एम.टेक. की योग्यता रखता है।

2.2. प्रतिवादी, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने प्रतिवादी विभाग में सहायक अभियंता (यांत्रिक) सहित विभिन्न विषयों के लिए सहायक अभियंता के पद के लिए विज्ञापन जारी किया।

2.3. उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद के लिए आवेदन किया था। तत्पश्चात, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को 16.12.2018 से 18.12.2018 तक आयोजित होने वाली संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया।

2.4. निर्धारित तिथियों पर याचिकाकर्ता प्रश्नगत पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुआ। परिणाम दिनांक 18.07.2019 के अनुसार परीक्षा में सफल घोषित होने पर याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया।

2.5. प्रतिवादी आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन अंकतालिका भी जारी की, और याचिकाकर्ता ने पिछड़ा वर्ग की अपनी संबंधित श्रेणी में 234.91 अंक प्राप्त किए।

प्रारंभिक परीक्षा अर्हता प्राप्त करने पर, प्रतिवादी आरपीएससी ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया।

2.6. याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुआ, जो 03.12.2019 से 05.12.2019 तक आयोजित होना निर्धारित थी।

2.7. मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ता स्टीम टेबल की अनुपलब्धता के कारण प्रश्न संख्या 33 तथा साइकोमेट्रिक चार्ट की अनुपलब्धता के कारण प्रश्न संख्या 36 का उत्तर देने में असमर्थ रहा।

2.8. दिनांक 04.03.2021 को प्रतिवादीगण ने सहायक अभियंता (यांत्रिक/विद्‌युत) के पद हेतु संयुक्त परिणाम एवं कट-ऑफ अंक जारी किए। विद्‌युत विषय के लिए, एक अलग प्रश्नपत्र प्रदान किया गया था।

2.9. प्रतिवादीगण ने सहायक अभियंता (यांत्रिक/विद्‌युत) के पद के लिए कट-ऑफ अंक 228.75 घोषित किए। हालाँकि, याचिकाकर्ता का अनुक्रमांक परिणाम में शामिल नहीं था।

2.10. मुख्य परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंकतालिका जारी करते समय यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कुल 287.00 अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

2.11. याचिकाकर्ता को बहुत कम अंकों के अंतर से साक्षात्कार प्रक्रिया में उपस्थित होने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। इसका कारण मुख्य परीक्षा के दौरान अपेक्षित तालिका और चार्ट की अनुपलब्धता बताया गया।

2.12. याचिकाकर्ता ने प्रश्न पत्र, पूर्व के प्रासंगिक प्रश्न पत्रों और प्रामाणिक पुस्तकों से प्राप्त प्रमाणों को संकलित किया जिससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रश्न संख्या 33 को हल करने के लिए स्टीम टेबल और प्रश्न संख्या 36 को हल करने के लिए साइकोमेट्रिक चार्ट की आवश्यकता थी। यह भी अभिलक्षित किया गया कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के साथ आवश्यक साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध कराया गया था।

2.13. दिनांक 15.04.2021 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी आरपीएससी के समक्ष अपनी शिकायतें और आपत्तियां उठाईं और इन प्रश्नों के संबंध में त्रुटि को सुधारने और आगे की चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति का अनुरोध किया।

2.14. प्रतिवादी आरपीएससी ने याचिकाकर्ता की शिकायतों और आपत्तियों पर विचार नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने 21.06.2021 को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि अनुरोध प्री-लिटिगेशन कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है।

2.15. दिनांक 09.09.2021 को, प्रतिवादीगण ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी विषयों में सहायक अभियंता पद के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा की। साक्षात्कार 01.10.2021 से 16.11.2021 तक निर्धारित किए गए थे, जबकि यांत्रिक विषय के

साक्षात्कार 15.11.2021 और 16.11.2021 को निर्धारित किए गए थे। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादी संख्या 3 आरपीएससी की ओर से दायर जवाब में लिया गया पक्ष इस प्रकार है:-

3.1. स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध न कराने के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार, आधारहीन और गलत हैं।

3.2. आयोग ने परीक्षा की निर्धारित तिथि अर्थात 05.12.2019 को परीक्षा केन्द्र अर्थात अजमेर जोन-I पर प्रश्न पत्र के साथ अपेक्षित संख्या में स्टीम टेबल उपलब्ध करा दिए थे।

3.3. केंद्रों पर अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराई गई थी और पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया था कि वे अभ्यर्थियों की मांग पर उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएँ। आगे यह भी कहा गया कि परीक्षा के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट के संबंध में कभी कोई मांग नहीं की गई। यह भी ध्यान दिया गया कि 18 महीने की देरी के बाद, याचिकाकर्ता को ऐसी आपत्तियाँ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3.4. याचिकाकर्ता ने परीक्षा के तुरंत बाद कोई अभ्यावेदन नहीं दिया। पहली बार, उसने परीक्षा के संबंध में आपत्तियां और शिकायतें उठाते हुए अपना अभ्यावेदन 15.04.2021 को प्रस्तुत किया, अर्थात परीक्षा की तिथि के 18 महीने बाद और मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा (04.03.2021) के 43 दिन बाद।

3.5. याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक समयावधि के दौरान प्रश्नपत्र या सामग्री के संबंध में कभी कोई आपत्ति या शिकायत नहीं उठाई। इसके अलावा, इस पूरी अवधि में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, इस रिट याचिका में उठाई गई सभी आपत्तियाँ और शिकायतें पूरी तरह से गुण-दोष रहित हैं, बाद में सोचा गया विचार प्रतीत होती हैं, और साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने के बाद ही उठाई गई हैं।

3.6. किसी व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद तथा परिणाम घोषित होने के बाद, उसके संबंध में आपत्तियां उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब परिणाम उसके अनुकूल या स्वीकार्य न हों।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिवादी संख्या 3, राजस्थान लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

5. याचिकाकर्ता का मामला, जैसा कि अभिपुष्टि में अभिवचन दिया गया है, यह है कि वह प्रश्न संख्या 33 और 36 के लिए बोनस अंक इस आधार पर मांग रहा है कि परीक्षा के समय प्रश्नपत्र हल करने वाले अभ्यर्थियों को स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध नहीं कराया गया था। उसने 15.04.2021 को पहली बार आक्षेपित प्रश्नों पर आपत्तियां उठाईं और उत्तरों में संशोधन की मांग करते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

6. यद्यपि यह कथन सामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह कानून की एक सुस्थापित स्थिति है कि यदि कोई अभ्यर्थी असफल हो जाता है, तो वह बाद में विशेषज्ञों की राय को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि अपने आत्म-मूल्यांकन में वह विशेषज्ञों की राय के बजाय अपने उत्तर को सही मानता है।

7. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पास नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, यानी 04.03.2021 को परिणाम घोषित होने के बाद, अपने स्वयं के आकलन के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देने का विकल्प खुला था, जिनसे वह व्यथित महसूस करता था।

8. यदि उक्त दावे को तथ्यात्मक रूप से सही मान भी लिया जाए, तो भी याचिकाकर्ता के पास परीक्षा के दौरान अपेक्षित सामग्री उपलब्ध न कराए जाने को परीक्षा के तुरंत बाद या परिणाम घोषित होने से पहले चुनौती देने का विकल्प खुला था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पूर्णतः संपन्न स्थिति को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी और असफल होने के बाद ही विलंबपूर्वक उसे चुनौती दी।

9. किसी भी स्थिति में, अपेक्षित सामग्री की अनुपलब्धता सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान थी। इसलिए, इस आधार पर याचिकाकर्ता को बोनस अंक देकर उसे अलग करना उन लोगों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण भेदभाव होगा जो इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।

10. परिणामस्वरूप, याचिका गुण-दोष रहित है और इसलिए इसे विलंब, लापरवाही और गुण-दोष के अभाव के आधार पर खारिज की जाती है।

(अरुण मोंगा), जे

89-मोहन/-
क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है - हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate